



पू.उ.प्र.अं./42/एसएलबीसी/दिसम्बर 2015/ 196

20.05.2016

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति(उ0 प्र0) के समस्त सदस्यों को पत्र

महोदय,

विषय :- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ. प्र.) की दिसम्बर 2015 हेतु समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

कृपया राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ. प्र.) की त्रैमासान्त दिसम्बर 2015 को समाप्त तिमाही हेतु आयोजित बैठक दिनांक 26.02.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस क्रम में उपरोक्त बैठक का कार्यवृत्त आपकी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया विभिन्न कार्य बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अद्यतन प्रगति हमें प्रेषित करें ताकि तदनुसार आगामी बैठक में इसका समावेश किया जा सके।

भवदीय,

(राजीव श्रीवास्तव)

सहायक महाप्रबन्धक

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

**राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ. प्र.) की दिसम्बर' 2015 तिमाही की दिनांक 26.02.2016 को
सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त**

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ. प्र.) की दिसम्बर' 2015 त्रैमास की समीक्षा बैठक दिनांक 26.02.2016 को "महाराजा सयाजीराव गायकवाड सभागार", बड़ौदा हाउस, गोमती नगर, लखनऊ में सम्पन्न हुई जिसकी अध्यक्षता श्री मयंक मेहता, कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा, मुम्बई द्वारा की गयी।

बैठक में श्री प्रवीर कुमार, आई.ए.एस., कृषि उत्पादन आयुक्त, उ.प्र. शासन; श्री शिव सिंह यादव, महानिदेशक, संस्थागत वित्त, बीमा एवं बाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय; श्री यशवंत राव, आई.ए.एस., मिशन निदेशक, यू.पी.एस.आर.एल.एम., उ.प्र. शासन; श्री अजय कुमार, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक; श्री गौतम सेन गुसा, मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक की उपस्थिति प्रमुख रही। विभिन्न बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के वरिष्ठ कार्यपालकों तथा राज्य व केन्द्र सरकार के उच्चाधिकारियों ने भी इस बैठक में सहभागिता की। बैठक में भाग लेने वाले सहभागियों की सूची संलग्न है।

बैठक के प्रारम्भ में श्री प्रभात अग्रवाल, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) ने सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुए निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला :

- प्रदेश में 5000 व इससे अधिक आबादी वाले ऐसे गाँव जहाँ पर वाणिज्यिक बैंकों की कोई भी शाखा नहीं है, उनमें नयी बी एण्ड एम शाखाएँ खोलने हेतु सभी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रोडमैप तैयार किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 31.12.2015 को अनुदेश जारी किया था जिसके आधार पर दिनांक 31.03.2017 तक शाखा खोलने हेतु रोडमैप तैयार किया जाना प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में -5000- से अधिक आबादी वाले सभी -3977- गाँवों की जनपदवार सूची समस्त अग्रणी बैंकों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा चुकी है। सदन से अनुरोध है कि सभी बैंक आपस में विचार विमर्श कर रोडमैप को अंतिम रूप देने का प्रयास करें।
- प्रदेश के सभी -75- जिलों के शीर्ष -50- वसूली प्रमाण पत्र वाले खातों को चिन्हित कर प्रदेश सरकार के सहयोग से उनमें वसूली कर एन.पी.ए. में कमी लाने हेतु सभी बैंक समग्र प्रयास करें। एस.एल.बी.सी. एवं बैंकों द्वारा इस कार्य में आवश्यक सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रदेश के शीर्ष - 3750- वसूली प्रमाण पत्र खाता धारकों की सूची संस्थागत वित्त महानिदेशालय को उपलब्ध करा दी गयी है।
- संस्थागत वित्त महानिदेशालय द्वारा इस दिशा में सभी जिलाधिकारियों को ऐसे खातों में वसूली में सहयोग करने हेतु निर्देश जारी कर दिए गये हैं।
- सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से प्रदेश में बैंकों द्वारा -1500- गाँवों का अंगीकरण कर लिया गया है। पिछली एस.एल.बी.सी. बैठक में हुई चर्चा एवं महानिदेशक संस्थागत वित्त महानिदेशालय के आह्वान पर बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा अन्य -536- आदर्श गाँवों को हाल ही में अंगीकृत किया गया है। अन्य बैंकों से भी यह अनुरोध है कि शासन की मंशा के अनुरूप इस दिशा में वे प्रयास करें एवं विषयक प्रगति से एस.एल.बी.सी. को अवगत कराते रहें।
- भारत सरकार के दिशा – निर्देशों के अनुरूप वित्तीय समावेशन के विभिन्न घटकों – प्रधानमंत्री जन-धन योजना, सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा योजना एवं अटल पैशन योजना आदि की प्रगति एवं



इनके क्लेम्स के समयानुरूप निस्तारण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ ही साथ निम्न बिन्दुओं पर भी सभी बैंकर्स का ध्यानाकर्षण आवश्यक है-

- रूपे कार्ड एवं पिन नम्बर को उनके खाता धारकों को समय से उपलब्ध कराते हुए कार्ड को Activate किया जाना,
- ओवरड्राफ्ट मुविधा को स्वीकृत करना,
- जीरो बैलेंस खातों में धनराशि जमा करवाना,
- खातों को आधार कार्ड से लिंक कर उन खातों में लेन देन करना।

इसी क्रम में शासन के दिशा- निर्देशों के अनुरूप वित्तीय साक्षरता का प्रचार प्रसार भी बैंकों द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जाये। जिसके लिए स्कूलों का अंगीकरण, स्कूल बैंक चैम्प योजना, आरसेटी संस्थानों/ एफ.एल.सी. केन्द्रों द्वारा साक्षरता कार्यक्रमों का आयोजना किया जाना चाहिए।

- बहुप्रतीक्षित प्रधानमंत्री फसल - बीमा योजना की उद्घोषणा की गयी है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे कृषकों को भी शामिल किया गया है जो पूर्व में शामिल नहीं थे। इस योजना की मुख्य विशेषताओं से सभी सम्बद्ध को अवगत करा दिया गया है।
- मुद्रा- ऋण योजना के अंतर्गत आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धियों का प्रतिशत 60.54% है जिसकी समय- समय पर समीक्षा आवश्यक है।
- प्रदेश में सभी बैंकों के लम्बित वसूली प्रमाण पत्रों में अपेक्षित सुधार हेतु राज्य सरकार से सकारात्मक सहयोग का आश्वासन मिला है। सभी बैंकों द्वारा इस क्रम में अग्रिम कार्यवाही करते हुए वसूली की स्थिति को सुदृढ़ किया जाये।
- विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा निरंतर कार्यवाही करते हुए लक्ष्यों की पूर्ति हेतु प्रयास जारी है।

अपने सम्बोधन के अंत में श्री प्रभात अग्रवाल, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) ने सभी सम्बन्धित विभागों, बैंकों एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं से आग्रह किया कि वे प्रदेश के विकास हेतु किये जा रहे कार्यों एवं उपलब्धियों से सम्बन्धित सुसंगत आंकड़ों का सासमय प्रेषण सुनिश्चित करें ताकि प्रदेश की उपलब्धियों व राज्य/ केन्द्र सरकार द्वारा लागू योजनाओं की प्रगति को बेहतर रूप से प्रस्तुत किया जा सके।

अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में श्री मयंक के. मेहता, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बडौदा ने सभागार में उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया एवं प्रदेश में प्राप्त विभिन्न उपलब्धियों व सफलता हेतु सभी हितधारकों के सहयोग की प्रशंसा की। प्रदेश के अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण पहलूओं पर भी उन्होंने प्रकाश डाला।

श्री मेहता ने सदन को अवगत कराया कि अप्रैल 2015 से दिसम्बर 2015 के बीच में कुल -460- नयी बैंक शाखाएँ खोली गयी जिसके फलस्वरूप प्रदेश में कुल बैंक शाखाओं की संख्या -17570- हो गयी है। इस क्रम में भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 30.12.2015 के अपने परिपत्र के माध्यम से एस.एल.बी.सी. संयोजक बैंक को यह उत्तरदायित्व सौंपा है कि प्रदेश में 5000 से अधिक आबादी वाले उन गाँवों को चिन्हित किया जाये जहाँ पर कोई भी बैंक शाखा नहीं है। उन सभी जगहों पर 31.03.2017 तक बैंक शाखा खोलने हेतु रोडमैप तैयार कर लिया जाये। इस सन्दर्भ में एस.एल.बी.सी. द्वारा समस्त बैंकों से समंवय स्थापित किया गया है तथा वांछित कार्यवाही शीघ्र पूर्ण किये जाने का अनुरोध है।



जहाँ तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एवं इसके उप क्षेत्रों में अग्रिम का प्रश्न है, प्रदेश में कुल अग्रिम का 56.43% योगदान प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का है। कृषि एवं कमज़ोर वर्ग क्षेत्र को प्रदत्त अग्रिम क्रमशः 27.13% एवं 17.54% के स्तर पर है जो भारतीय रिजर्व बैंक के मानक स्तर क्रमशः 18% एवं 10% से अधिक है। इस क्षेत्र में सफलता हेतु समस्त बैंक धन्यवाद के पात्र है।

उन्होंने प्रदेश में वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में बैंकों द्वारा किये जा रहे कार्यों की सराहना की। साथ ही वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता पर बल दिया। इस दिशा में किये जा रहे नये प्रयासों जैसे - स्कूल बैंक चैम्पस कार्यक्रम, आई.टी.आई. केन्द्रों की मैपिंग एवं वित्तीय साक्षरता केन्द्रों/ ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केन्द्रों आदि की स्थापना में भी बैंकों की प्रमुख भूमिका है। वित्तीय समावेशन कार्यक्रम एवं वित्तीय साक्षरता की सफलता में “बैंक मित्रों” की भूमिका भी महत्वपूर्ण है।

वार्षिक क्रृषि योजना 2015-16 के अंतर्गत प्रदेश में बैंकों द्वारा सराहनीय उपलब्धियाँ हासिल की गयी हैं। इसी क्रम में 2016-17 वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक क्रृषि योजना के सृजन की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है। उन्होंने समस्त बैंकों से अनुरोध दोहराया कि सरकार प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति हेतु समग्र प्रयास किये जाये।

साथ ही साथ फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कम्पनियां बीमित राशि एवं दावों का निस्तारण शीघ्रता से करें जिससे प्रभावित किसानों को इसका लाभ समय से प्राप्त हो सके।

कार्यकारी निदेशक महोदय ने प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के फलस्वरूप हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए चिह्नित जिलों में राहत पहुँचाने हेतु निर्धारित दिशा- निर्देशों के अंतर्गत विशेष कदम उठाने का आह्वान किया। इसके लिए समस्त बैंकों को आपसी सहयोग एवं सामंजस्य से कार्य करने की आवश्यकता है।

श्री मेहता ने प्रदेश में क्रृषि जमा अनुपात में व्यापक सुधार एवं वृद्धि हेतु बैंकों; वित्तीय संस्थाओं एवं अन्य स्टेक होल्डर्स के सक्रिय सहयोग हेतु आह्वान किया। प्रदेश में 40% से कम क्रृषि जमा अनुपात वाले जिलों की संख्या में भी कमी करनी होगी और इस कार्य में इसकों राष्ट्रीय स्तर पर लाने हेतु सभी बैंकर्स को प्रयास करने होंगे और इस कार्य हेतु प्रदेश सरकार का भरपूर सहयोग भी अपेक्षित है।

प्रदेश में क्रृषि जमा अनुपात की गणना हेतु आंकड़ों में उन इकाईयों को जारी क्रृषि सुविधा इत्यादि को भी सम्मिलित कर लिया जाये जो प्रदेश के उत्तर अर्थात् नोयडा, मोदीनगर/ मेरठ आदि में स्थित हैं और जो प्रदेश के आंकड़ों में अभी तक परिलक्षित नहीं होते हैं।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तीनों घटकों - शिशु, किशोर व तरुण के अंतर्गत प्रदत्त लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु बैंकों द्वारा सघन प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

अपने अध्यक्षीय सम्बोधन के अंत में श्री मयंक के. मेहता, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने सदन में उपस्थित सभी सदस्यों का अभिवादन करते हुए प्रमुख मुद्दों के साथ साथ बैंक देयों की वसूली हेतु बैंकों द्वारा सघन प्रयास किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया एवं राज्य सरकार के सहयोग का अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने वित्त मंत्रालय भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबांड के दिशा



निर्देशों का पूरी तरह से पालन करने और आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु समग्र प्रयास करने का आह्वान किया।

श्री प्रवीर कुमार, आई.ए.एस., कृषि उत्पादन आयुक्त, उ.प्र. शासन ने अपने सम्बोधन में कहा कि प्रदेश के विकास में बैंकर्स की अहम भूमिका रही है और उनके समेकित प्रयासों से प्रदेश में वित्तीय समावेशन कार्यक्रम का सफलता पूर्वक क्रियांवयन किया जा रहा है। बैंकों द्वारा जारी रूपे डेबिट कार्ड को सक्रिय करने एवं ग्राहकों को शिक्षित करने हेतु वृहत रूप से अभियान चलाने पर उन्होंने बल दिया। उन्होंने विचार व्यक्त किये कि स्थानीय भाषा में ग्राहकों को उनके मोबाइल फोन पर एस.एम.एस. के माध्यम से सूचना प्रेषित की जाये जिससे उन्हें उनके रूपे कार्ड के बारे में सभी सूचनाएँ मोबाइल फोन पर ही उपलब्ध हो जायें क्योंकि बहुत से किसानों को अपने खाते के द्वारा मिलने वाले लाभों के बारे में जानकारी ही नहीं रहती है।

शाखा विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने जिला प्रशासन से सहयोग दिलाने हेतु भी अपनी सहमति दी। इस कार्य को एक अभियान के रूप में लागू करने पर बल दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि बैंकों द्वारा ऐसे ए.टी.एम. स्थापित किये जाने पर विचार किया जाये जिनमें नकद जमा एवं निकासी दोनों की सुविधा उपलब्ध हो। ए.टी.एम. खुलने से बैंक शाखाओं पर कार्य का दबाव कम हो जायेगा।

कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय ने स्कूल बैंक चैम्पस कार्यक्रम के अंतर्गत बैंकर्स द्वारा किये जा रहे कार्यों की सराहना की। इसी सन्दर्भ में उन्होंने कुछ ऐसे बैंकों का भी जिक्र किया जिन्होंने अभी तक स्कूल अंगीकरण का कार्य प्रारम्भ ही नहीं किया है।

प्रदेश के क्रृषि - जमा अनुपात का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि अभी भी उत्तर प्रदेश में क्रृषि जमा अनुपात का प्रतिशत अन्य राज्यों की अपेक्षा कम है। इसको बढ़ाने हेतु उन्होंने समस्त बैंकर्स का आह्वान किया और इस कार्य को प्राथमिकता पर करने की आवश्यकता बताई।

अपने सम्बोधन के अंत में कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय ने पुनः सभी बैंकर्स से सहयोग की अपेक्षा की और किसानों को क्रृषि प्रदान करने के लिए सरल प्रक्रिया लागू करने की आवश्यकता बताई।

श्री शिव सिंह यादव, महानिदेशक, संस्थागत वित, बीमा एवं बाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय, उ.प्र. शासन ने अपने सम्बोधन में माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के बजट भाषण की अनेक महत्वपूर्ण घोषणाओं का उल्लेख किया। इसी क्रम में उन्होंने प्रदेश में प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खोले गये खातों व योजना की सफलता के सम्बन्ध में सदन को अवगत कराया। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में मार्च 2012 से सितम्बर 2015 तक -3889- नयी बैंक शाखायें खोली गयी जो एक सराहनीय कार्य है।

महानिदेशक महोदय ने अवगत कराया कि बैंकिंग एवं बीमा क्षेत्र में जन- शिकायतों के निवारण हेतु हेल्पलाइन 1520 की शुरुआत की गयी है जिसका भरपूर प्रयोग किया जा रहा है। बैंकों द्वारा इस दिशा में प्रभावी अनुश्रवण एवं कार्य किये जाने की आवश्यकता है।

प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गयी प्रोत्साहन नीति का उल्लेख करते हुए महानिदेशक महोदय ने उन बैंकों को विशेष रूप से कार्य करने हेतु निर्देशित किया जिनकी उपलब्धिया मानकों के सापेक्ष कम रही है। इस कार्य में सरकार की ओर से उन्हें पूरा सहयोग प्रदान किया जायेगा।



अपने सम्बोधन के अंत में उन्होंने सदन में उपस्थित सभी बैंकर्स का आह्वान किया कि वे गाँवों को अंगीकृत करने की दिशा में प्रयास करें। साथ ही प्रदेश व केन्द्र सरकार की सभी योजनाओं पर दृढ़ता व लगन से कार्य करें।

श्री अजय कुमार, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ ने अपने सम्बोधन में निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला-

- सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं के कैपिटल फंड की लगातार क्षति हो रही है। इस कारण बैंकर्स से आह्वान है कि वे कैपिटल बढ़ाने हेतु सुनियोजित तरीके से कार्य करें और इसी से ऋण जमा अनुपात में वृद्धि होगी।
- एम.एस.एम.ई. सेक्टर के अंतर्गत वित्त पोषण से ही बैंकों के ऋण जमा अनुपात में वृद्धि सुनिश्चित की जा सकती है।
- इसके साथ ही साथ बैंकर्स को अपने उत्पादों में परिवर्तन करते हुए कुछ नये बदलाव करने होंगे जिससे उनकी मार्केटिंग उचित रूप से की जा सके।
- समाज के निम्न तबके के लोगों को भी ऋण सुविधा आसानी से उपलब्ध हो जिससे वह वर्ग भी स्वरोजगार विकसित कर अपना जीवन- यापन कर सके।
- बैंकर्स को विधिवत प्रशिक्षण दिया जाना भी आवश्यक है साथ ही साथ बैंकर्स द्वारा ग्राहक सेवा पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ग्राहकों की शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए।

श्री जोगी मेघनाथ, महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक ने पी.पी.टी. के माध्यम से निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला –

- बैंकर्स द्वारा फसल बीमा योजना के अंतर्गत सभी पात्र किसानों को शामिल किया जाना और उनके खातों से काटे गये ग्रीमियम की धनराशि को सम्बन्धित बीमा कम्पनी को समय से प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाना,
 - ग्राहकों की शिकायतों का शीघ्र निस्तारण,
 - किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाली वित्तीय सुविधाओं का उचित उपयोग किसानों द्वारा किया जाना एवं इसके लिए स्केल ऑफ फाइनेंस का ध्यान रखते हुए बैंकर्स द्वारा आवश्यक कार्यवाही,
 - भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता हेतु जारी आवश्यक दिशा निर्देशों का अनुपालन,
- उपस्थित गणमान्य अतिथियों के सम्बोधन के उपरांत पावर प्लाइट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा हेतु स्थिति प्रस्तुत की गयी -



कार्यसूची संख्या - 1

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की दिनांक 15.12.2015 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि :

विगत बैठक दिनांक 15.12.2015 के कार्यबिन्दु एवं कार्यवृत्त जो सभी सदस्यों को दिनांक 08.02.2016 को प्रेषित किया गया था, की सदन द्वारा पुष्टि की गयी।

कार्यसूची संख्या - 2

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की दिनांक 15.12.2015 को आयोजित बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट

1. प्रदेश के सभी जनपदों में बैंकों द्वारा आर - सेटी संस्थानों की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम 1 एकड़ भूमि का निःशुल्क आवंटन :

सदन को अवगत कराया गया कि पंजाब नेशनल बैंक के समंवय में दिनांक 19.02.2016 को सम्पन्न राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की उप समिति की बैठक में इस विषयक विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की गयी एवं सदन को अद्यतन स्थिति से अवगत कराया गया। इस क्रम में पंजाब नेशनल बैंक और सिण्डीकेट बैंक के अगणी जिलों - शामली व सम्भल तथा हापुड़ में आर- सेटी की स्थापना हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से मार्गदर्शन प्रतीक्षित है।

सदन को यह भी अवगत कराया गया कि सुल्तानपुर जिले में भूमि आवंटन की प्रक्रिया की जा रही है। इसी क्रम में मिशन निदेशक, उ.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने देवरिया जनपद के गौरी बाजार क्षेत्र में आर- सेटी की स्थापना हेतु जनपद के अगणी बैंक - सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया को वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरोध किया।

2. बड़ौदा यू.पी. ग्रामीण बैंक को Recapitalization assistance प्रदान करना :

सदन को अवगत कराया गया कि संस्थागत वित महानिदेशालय, उ० प्र० से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस विषय पर भारत सरकार को क्तिपय बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण का अनुरोध प्रेषित कर दिया गया है जिस पर प्रत्युत्तर प्रतीक्षित है।

3. प्रदेश में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों हेतु स्टैम्प डियूटी पर छूट का प्रावधान :

सदन में विषयक चर्चा की गयी और सदन को बताया गया कि यह प्रकरण प्रदेश सरकार में उच्च स्तर पर विचाराधीन है। अंतरिम अवधि में वर्तमान पद्धति से ही कार्य किया जा रहा है।

कार्यसूची संख्या - 3

वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों का क्रियांवयन

क) प्रधानमंत्री जन - धन योजना (पी.एम.जे.डी.वाई.)

सदन को अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा लागू इस सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त योजना की उच्च स्तरीय समीक्षा नियमित रूप से की जा रही है। इसी क्रम में सदन को बताया गया कि “प्रधानमंत्री



जन- धन योजना” के क्रियांवयन में प्रदेश को पूरे भारतवर्ष में, दस में से छ: मानदण्डों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है।

यद्यपि रूपे कार्ड जारी करने में तो बैंकों द्वारा अच्छा कार्य किया गया है परंतु अनेक मामलों में इन कार्ड्स को उसके धारक तक नहीं पहुँचाया जा सका है। अतः रूपे कार्ड्स प्रेषण के बारे में बैंकर्स को सुनियोजित ढंग से कार्य करना आवश्यक है। इसके साथ ही कार्ड धारक को इसके एकटीवेशन के बारे में जागरूक करना होगा जिससे -90- दिन के अन्दर वे अपने कार्ड को एकटीवेट कर सके तभी इसका लाभ ग्राहक को मिल सकता है। सदन में इन अवितरित कार्ड्स के प्रेषण के बारे में व्यापक चर्चा हुई और सभी सम्बद्ध को बताया गया कि इन कार्ड्स के वितरण, पिन वितरण, एकटीवेशन एवं रख रखाव से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं पर जागरूकता एवं आवश्यक निगरानी सतर्कता का ध्यान रखा जाये।

इसी क्रम में प्रदेश में कार्यरत बैंक मित्रों (Business Correspondents) की कार्यप्रणाली पर भी चर्चा की गयी। सभी बैंकों को बैंक मित्रों को Verification Call करने हेतु आह्वान किया गया जिससे यह पता चल सके कि वे अपने कार्यस्थल/ग्राहक सेवा केन्द्र पर उपस्थित हैं और सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं। सभी बैंकों से अनुरोध दोहराया गया कि वे अपने बैंक के बैंक मित्रों को कॉल करें और उनके आंकडे एस.एल.बी.सी. को नियमित रूप से भेंजे जिससे समेकित आंकडे वित मंत्रालय, भारत सरकार को सम्मानानुसार प्रेषित किये जा सके। आधार सीडिंग पर भी चर्चा की गयी तथा प्रदेश में आधार सीडिंग की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त की गयी। इस मानक पर व्यापक सुधार हेतु सभी स्टेक होल्डर्स द्वारा सम्मिलित प्रयास किये जाने का आह्वान किया गया।

ख) स्कूल बैंक चैम्पस कार्यक्रम -

स्कूल विद्यार्थियों को वित्तीय जागरूकता एवं वित्तीय साक्षरता से अवगत कराने हेतु भारतीय बैंक संघ (Indian Bank's Association) ने “स्कूल बैंक चैम्पस कार्यक्रम” का शुभारम्भ समस्त बैंकर्स के माध्यम से किया है। इस पहल के अंतर्गत बैंकों की सभी शाखाओं द्वारा एक विद्यालय को अंगीकृत किया जाना है। सदन को बैंकवार अद्यतन प्रगति से अवगत कराया गया तथा सभी चयनित स्कूलों में कार्यक्रमों के शीघ्र आयोजन हेतु अनुरोध किया गया।

ग) सुरक्षा योजनाओं के क्लेम्स का निस्तारण-

भारत सरकार द्वारा उदघोषित दोनों सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना व प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत प्राप्त क्लेम्स की स्थिति सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी तथा सभी लम्बित क्लेम्स का त्वरित निस्तारण बैंकर्स द्वारा किये जाने पर विस्तृत चर्चा की गयी।

एस.एल.बी.सी. की विभिन्न उपसमितियों की समीक्षा बैठकों की अद्यतन स्थिति से निम्नानुसार सदन को अवगत कराया गया :

1. फसल बीमा एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु गठित उपसमिति (संयोजक- बैंक ऑफ बडौदा) की बैठक का आयोजन दिनांक 18.02.2016 को नाबाई में किया गया।
2. आर सेटी की उपसमिति (संयोजक- पंजाब नेशनल बैंक) की बैठक दिनांक 19.02.2016 को आयोजित की गयी।



3. बुनकर क्रेडिट कार्ड की प्रगति की समीक्षा हेतु गठित उपसमिति (संयोजक- सिण्डीकेट बैंक) की बैठक दिनांक 23.02.2016 को आयोजित की गयी।
4. कृषि क्षेत्र एवं क्रृषि जमा अनुपात हेतु गठित उपसमिति (संयोजक- यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया) की बैठक का आयोजन दिनांक 10.03.2016 को प्रस्तावित है।
5. बैंक देयों की वसूली हेतु गठित उपसमिति (संयोजक- इलाहाबाद बैंक) की बैठक दिनांक 30.03.2016 को प्रस्तावित है।
6. वित्तीय समावेशन कार्यक्रम की उपसमिति (संयोजक- भारतीय स्टेट बैंक) की बैठक का आयोजन विगत काफी समय से लम्बित है।

इन उपसमितियों की बैठकों में लिए गये विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय एवं कार्यबिन्दुओं से सदन को अवगत कराया गया।

कार्यसूची संख्या - 4

(हथकरघा क्षेत्र के अंतर्गत बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना का क्रियांवयन)

सदन को अवगत कराया गया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनकरों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप वित्तीय सहायता पहुँचाना है। यह योजना सभी ग्रामीण एवं अर्ध शहरी, शहरी क्षेत्रों में लागू है।

योजनांतर्गत प्रगति की नियमित समीक्षा हेतु सिण्डीकेट बैंक के समंवयन में एस.एल.बी.सी. की एक उपसमिति का गठन किया गया है जो योजनांतर्गत प्रगति की नियमित समीक्षा करती है। इस उपसमिति की दिसम्बर तिमाही की बैठक दिनांक 23.02.2016 को सम्पन्न हुई थी। प्रदेश में इस योजनांतर्गत 20% की धीमी प्रगति परिलक्षित हुई है और 25000 वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 5000 मामलों में यह सुविधा प्रदान की गयी है। वार्षिक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सदन में उपस्थित सभी सदस्य बैंकों से अनुरोध किया गया।

कार्यसूची संख्या - 5

(वार्षिक क्रृषि योजना 2015-16 की समीक्षा)

वार्षिक क्रृषि योजना 2015-16 के अंतर्गत दिसम्बर' 2015 तक की बैंकवार/ सेक्टरवार प्रगति से सदन को अवगत कराया गया जिसके अनुसार वित्तीय वर्ष की तृतीय तिमाही तक वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति का प्रतिशत 66.34% रहा है। इसके विभिन्न सेक्टरवार प्रगति- कृषि -64%; लघु उद्यम- 92%; सेवा क्षेत्र- 53% उपलब्धि हासिल की गयी है।

सदन को अवगत कराया गया कि नाबाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु पी.एल.पी. तैयार कर लिया गया है जिसका आकार लगभग रु. 177917.03 करोड़ है। बैंकर्स द्वारा जनपद स्तरीय पी.एल.पी. के आधार पर वार्षिक क्रृषि योजना के सृजन हेतु कार्यवाही कर वार्षिक क्रृषि योजना को अंतिम रूप देते हुए 31.03.2016 तक अवश्य लागू किया जाना अपेक्षित है। इसी क्रम में एक बार पुनः समस्त अग्रणी जिलों से सम्बन्धित LBS MIS I, II व III का समय प्रेषण एस.एल.बी.सी. को सुनिश्चित करने हेतु सभी सम्बन्धित से अनुरोध किया गया ताकि समेकित आंकड़ों का समय प्रेषण भारतीय रिजर्व बैंक, संस्थागत वित्त महानिदेशालय व अन्य एजेंसीज को निर्धारित समयावधि पर किया जा सके।



कार्यसूची संख्या - 6

(क्रृषि जमा अनुपात)

सदन में प्रदेश के कम क्रृषि जमा अनुपात (CD Ratio) पर विस्तृत चर्चा हुई और इसे बढ़ाने हेतु विचार विमर्श किया गया। यह अवगत कराया गया कि बैंकों द्वारा प्रेषित आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि दिसम्बर 2014 के सापेक्ष दिसम्बर 2015 में क्रृषि जमा अनुपात में 1.75% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गयी है और समीक्षा अवधि के दौरान तिमाही में भी 1.74% की वृद्धि हुई है। प्रदेश में क्रृषि जमा अनुपात की वृद्धि हेतु कृषि क्षेत्र के अंतर्गत बड़े उद्यमों को वित्त पोषण करने हेतु वृहद चर्चा की गयी।

कार्यसूची संख्या - 7

(पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने हेतु प्रदेश में कृषि क्रृषि प्रवाह की समीक्षा)

सदन को अवगत कराया गया कि प्रदेश के -28- पूर्वी जनपदों, जहाँ इस योजना का क्रियांवयन किया जा रहा है, में नाबार्ड द्वारा प्रेषित सब प्लान के अंतर्गत हो रही कार्यवाही की यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा विस्तृत समीक्षा की जा रही है।

कार्यसूची संख्या - 8

(किसान क्रेडिट कार्ड/ फसली क्रृषि/व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना/आर.के.बी.वाई.)

सदन को अवगत कराया गया कि प्रदेश में कार्यरत सभी बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजनांतर्गत आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की जा रही है। योजनांतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में तृतीय तिमाही तक प्रदेश में कुल -39,73,197- किसानों को इस योजनांतर्गत आच्छादित किया गया है जिनमें से -27,03,659- किसानों के किसान कार्डस का नवीनीकरण किया गया है तथा कुल -12,69,538- नये कार्ड, किसानों को जारी किये गये हैं। सदन में इस प्रकरण पर भी विस्तृत चर्चा की गयी कि प्रदेश के समस्त किसानों को इस योजना से आच्छादित किया जाये जिससे पूरा प्रदेश संतुम धोषित किया जा सके। साथ ही साथ समस्त किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को फसल बीमा योजना के अंतर्गत शामिल करना भी अनिवार्य है।

निदेशक, कृषि सांख्यिकी श्री वी. के. सिंह ने अपने सम्बोधन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए सदन में उपस्थित समस्त बैंकर्स से आह्वान किया कि वे इस योजना का लाभ समस्त के.सी.सी. धारकों को पहुँचायें। यह योजना 01.04.2016 से प्रदेश में लागू की जा रही है।

सदन में इस बात की भी चर्चा की गयी कि बीमित किसानों को, उनके प्रीमियम धनराशि की कटौती का विवरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रीमियम कटौती की रसीद दी जानी चाहिए।

कार्यसूची संख्या - 9

(सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों हेतु क्रृषि प्रवाह)

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों को बैंकों द्वारा प्रदान किये जा रहे क्रृणों की स्थिति पर सदन में चर्चा की गयी। इस क्रम में भारत सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की समीक्षा अवधि तक प्रगति पर विस्तृत चर्चा



की गयी तथा समस्त बैंकों द्वारा इस योजना के अंतर्गत आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सघन प्रयास किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

सदन को अवगत कराया गया कि CGTMSE क्षेत्र में वित्त पोषण क्षेत्र हेतु उत्तर प्रदेश का पूरे देश में प्रथम स्थान रहा है।

आर्टिंजन क्रेडिट कार्ड योजनांतर्गत प्रगति से सदन को अवगत कराया गया।

कार्यसूची संख्या - 10

(साहूकारी ऋण मुक्ति योजना एवं संयुक्त देयता समूह)

योजनांतर्गत प्रगति से सदन को अवगत कराया गया।

कार्यसूची संख्या - 11

(कृषि एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वसूली, वसूली प्रमाण पत्र निर्गत खाते एवं गैर निष्पादक आस्तियाँ)

कृषि एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत प्रदेश में बैंकों की कृषि वसूली की स्थिति पर चर्चा के दौरान बैंक कृषि वसूली हेतु किये जा रहे प्रयासों व प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त सहयोग की सदन द्वारा सराहना की गयी एवं और अधिक सहयोग का अनुरोध दोहराया गया।

यह भी अवगत कराया गया कि गैर निष्पादक आस्तियों के सन्दर्भ में वाणिज्यिक बैंकों का स्तर थोड़ा बढ़ा है जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एन.पी.ए. स्तर में थोड़ी कमी आयी है। बकाया बैंक देयों की वसूली में व्यापक सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

कार्यसूची संख्या - 12

(अल्पसंख्यक समुदाय को वित्तीय सहायता)

बैंकों द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। इस सम्बन्ध में सदन को अध्यतन स्थिति से अवगत कराते हुए बताया गया कि प्रदेश के -21- चिन्हित जनपदों में इस समुदाय को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का 24.47% वित्त पोषण किया गया जो 15% के निर्धारित मानक से कहीं अधिक है।

कार्यसूची संख्या - 13

(स्वयं सहायता समूह)

बैंकों द्वारा स्वयं सहायता समूहों/महिला स्वयं सहायता समूहों के नाबांड के सहयोग से सृजन व बैंक लिंकेज का कार्य बैंकों द्वारा सफलतापूर्वक किया जा रहा है। सदन को यह बताया गया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार यह योजना नाबांड के सहयोग से आठ पिछड़े जिलों में एंकर एन.जी.ओ. के माध्यम से भी चलायी जा रही है। इसी क्रम में नाबांड के सहयोग से स्वयं सहायता समूहों के ग्राम स्तरीय में ग्राम क्रेडिट लिंकेज कैम्प का आयोजन भी किया जाना है। जिसके सन्दर्भ में आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश ने अपने पत्रांक 495/478/नाबांड- एम.एफ & एफ.आई./यू.पी.एस.आर.एल.एम/लखनऊ 2015 द्वारा उत्तर प्रदेश के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को इस आयोजन हेतु निर्देशित किया है जिसमें



समस्त बैंको व अन्य सम्बद्ध से आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कार्य योजना बनाने हेतु अनुरोध किया गया।

कार्यसूची संख्या - 14

(विभिन्न ग्रामीण आजीविका मिशन - एन.आर.एल.एम.)

“राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन - एन.आर.एल.एम.”

भारत सरकार की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका क्रियावयन प्रदेश के चयनित -31- जनपदों के -78- विकासखण्डों में Intensive आधार पर किया जा रहा है। इस क्रम में एस.आर.एल.एम. के मिशन निदेशक ने सदन को योजनांतर्गत प्रगति से अवगत कराया। उन्होंने इस मिशन द्वारा योजनांतर्गत एक मेगा कैम्प आयोजित करने का जिक्र भी किया। इस कैम्प में इन समूहों के बैंक क्रेडिट लिंकेज करने हेतु आवेदन पत्रों का त्वरित निस्तारण करने की योजना बतायी गयी।

बैंको से अनुरोध किया गया कि योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें।

“राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन - एन.यू.एल.एम.”

भारत सरकार द्वारा लागू की गयी यह योजना शहरी वर्ग के लिए है जिसकी नोडल एजेंसी “सूडा” है जो समूहों के साथ साथ व्यक्तिगत लाभ्यार्थियों को भी वित्त पोषित करती है। इस योजना की चर्चा करते हुए नोडल एजेंसी के प्रतिनिधि ने सदन को बताया कि इस योजनांतर्गत 7% ब्याज दर पर ऋण देने का प्रावधान है और बाकी Interest Subsidy के रूप में दी जाती है। अतः इस योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों को बैंको द्वारा त्वरित निस्तारण करने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम - पी.एम.ई.जी.पी.

भारत सरकार द्वारा लागू की गयी यह योजना नोडल एजेंसी - ‘के.वी.आई.सी.’ के माध्यम से क्रियावित की जा रही है। योजनांतर्गत प्रगति से सदन को अवगत कराया गया। नोडल एजेंसी द्वारा योजनांतर्गत प्राप्त Margin Money की धनराशि को समायोजित करने हेतु बैंकर्स को आवश्यक निर्देश जारी करने हेतु चर्चा की गयी।

विशेष समंवित योजना (एस.सी.पी.)

इस योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण एवं हुई प्रगति पर चर्चा की गयी। इसी क्रम में स्कैवेंजर्स के पुनर्वास हेतु अधिनियम 2013 की चर्चा करते हुए सदन को यह बताया गया कि उ.प्र. में अभी भी -10016- स्कैवेंजर्स कार्य कर रहे हैं जिनमे -4000- बरेली व मुरादाबाद में हैं। एजेंसी के प्रतिनिधि से इन आंकड़ों को एस.एल.बी.सी. को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया जिससे बैंकर्स के माध्यम से उनको वित्त पोषण हेतु कार्यवाही किया जा सके।



मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड (KVIB), उ.प्र. की यह एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके माध्यम से बैंकों द्वारा पात्र व्यक्तियों को वित्त पोषण कराया जाता है। इस सन्दर्भ में बैंकर्स द्वारा शत प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने हेतु सदन में चर्चा की गयी।

कामधेनु एवं मिनी कामधेनु एवं माइक्रो कामधेनु योजना

चर्चा के दौरान सदन को यह बताया गया कि प्रदेश सरकार की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसकी समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री, उ.प्र. सरकार द्वारा भी की जा रही है। योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के त्वरित निस्तारण हेतु समस्त बैंकों से अनुरोध किया गया। इसी क्रम में सदन में इस बात पर भी चर्चा की गयी कि व्याज अंशदान जिसका बजट नोडल एजेंसी के पास रहता है उसे ऋणी को क्लेम करना है, बैंकों को नहीं। इसके लिए बैंक अपने ऋणी ग्राहकों को Sensitize करें कि उन्हें यह धनराशि तभी क्लेम करना होगा जब वे अपने ऋण खातों में किश्तों का समय से भुगतान करें ताकि ऋण खाता Overdue न हो।

कार्यसूची संख्या - 15

(भारत सरकार की नवीन योजनाएँ)

(क) एग्रीक्लॉनिक / एग्रीबिजनेस केन्द्र -

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु कृषि स्नातकों के लिए यह योजना प्रारम्भ की गयी है। योजना की प्रगति सदन में प्रस्तुत की गयी।

(ख) ग्रामीण भण्डारण हेतु कैपिटल इंवेस्टमेंट - सब्सिडी योजना -

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादों के भण्डारण हेतु गोदामों के निर्माण, नवीनीकरण अथवा भण्डारण क्षमता के विस्तार हेतु यह योजना लागू की गयी है। योजनांतर्गत प्रगति सदन में प्रस्तुत की गयी।

कार्यसूची संख्या - 16

(शैक्षिक क्रण)

वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा योजनांतर्गत प्रदेशवार लक्ष्यों की सूचना समस्त बैंकों को प्रेषित की गयी है। साथ ही योजनांतर्गत त्रैमासांत दिसम्बर 2015 तक की प्रगति से भी सदन को अवगत कराया गया।

कार्यसूची संख्या - 17

(बैंकों के विरुद्ध अपराधिक घटनाएँ)

समीक्षा अवधि के दौरान विभिन्न बैंकों में घटी कुछ घटनाओं पर चर्चा की गयी। चर्चा के दौरान सदन में यह विचार किया गया कि जिन बैंकों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगे हैं वहाँ पर कैमरे की हार्ड डिस्क किसी ऐसे सुरक्षित स्थान पर रखी जाये जहाँ लुटेरों की नजर न पड़े क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है कि वे जाते



समय कैमरे की रिकार्डिंग वाली हार्ड डिस्क भी अपने साथ लिए जाते हैं। इसके साथ ही साथ सुरक्षा के अन्य मानदण्डों पर भी चर्चा की गयी।

कार्यसूची संख्या - 18

(अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर चर्चा)

- यू.आई.डी.ए.आई. के प्रतिनिधि ने समस्त बैंकर्स से अनुरोध किया कि वे अपनी सभी शाखाओं को अपने सभी खातों में आधार नम्बर सीडिंग करने हेतु निर्देश जारी करें ताकि यह कार्य एक मिशन मोड में किया जा सके।
- राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली के प्रतिनिधि ने “प्रधानमंत्री आवास योजना” के माध्यम से समाज के निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को affordable दर पर आवास उपलब्ध कराने हेतु सरकार की योजना की विशेषताओं से अवगत कराते हुए सहयोग की अपेक्षा की।

अंत में धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।



राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक दिनांक 26.02.2016 कार्य बिन्दु (Action Points)

Sr. No	Issue	Status	Required Action
1.	Allotment of minimum 1 Acre of land by the State Govt. to the Banks and setting up of R-SETIs in -3- remaining Districts of the State.	<p>All Banks in the State have so far established -75- RSETIs in the rental buildings.</p> <p>The State Govt. has approved allotment of land in respect of -72- Districts so far. In -2- Districts viz. Ghaziabad and Agra, RUDSETIs are already functional. The allotment of land in District Sultanpur is yet to be finalized. However, in some of the districts where the land was identified/allotted earlier have certain issues due to which the physical possession to be followed by execution of the MoU and lease deed could not be finalized.</p> <p>The district wise position and the centre wise related issues are being discussed during the Sub- Committee Meetings held under the Convenorship of Punjab National Bank. The detailed position also stands communicated to the Nodal Agency- UPSRLM for their necessary action & resolution of the issue.</p> <p>Further, as per guidelines issued by MoRD, Govt. of India, it is informed that no funds will be released to any RSETI if the construction does not start on or before 30.06.2016.</p> <p>Hence, it becomes all the more necessary that the RSETIs do complete various stages of formalities required to be made to be eligible for receipt of funds/grant from GoI after allotment of land from the State Govt.</p> <p>-2- Lead Banks have yet to establish RSETIs in their Lead Districts as per resolution of the SLBC. Viz. Punjab National Bank (Shamli) and Syndicate Bank (Sambhal & Hapur).</p> <p>It is informed by PNB & Syndicate Banks that necessary approval from MoRD, Govt. of India is yet to be received in spite of the regular followup.</p>	<p>As discussed during the Meetings, the State Govt. is requested to speed up the process for clearance of land allotment in all the Districts where certain issues are reported by the concerned banks and require State Govt. intervention.</p> <p>In view of the new guidelines issued by MoRD, it becomes all the more necessary that the RSETIs do complete various stages of formalities required to be made for receipt of grant from GoI.</p> <p>All the Lead Banks are also requested to ensure that necessary formalities for construction of the RSETI buildings are completed at the earliest so that RSETIs may start functioning in their own buildings.</p> <p>Further, both the Lead Banks viz. PNB & Syndicate Bank are advised to follow up with MoRD, GoI for setting up of RSETIs in respect of their selected left out Districts. The State Govt. intervention with MoRD in this regard would certainly yield the desired results.</p> <p>(Action : Commissioner, Rural Development, GoUP & all Lead Banks)</p>
2.	Exemption of Stamp Duty on Documentation for SHG functioning in the State	<p>During the SLBC Meeting held on 16.12.2013, NABARD had suggested for exemption of Stamp Duty on SHGs documentation so as to promote the SHG – Bank linkage programme. NABARD, RO, Lucknow vide letter no. NB.LKO.MCID/863/SHG-7/2013-14 dated 27.01.2014 has also cited details of various</p>	<p>The State Govt. is requested to consider resolution of the same at the earliest.</p> <p>(Action: State Govt.)</p>



		<p>other States, where the Stamp Duty exemption is in vogue & looking to the huge potential in U.P. its necessity is felt. It was also emphasized that a huge target of 1.25 lacs SHGs Bank linkage has been fixed for the fiscal 2015-16 and hence an early resolution of the issue is necessary. MD, UPSRLM & SLBC (UP) have also taken up the issue with the State Govt. This issue is being reviewed during various State level forums from time to time. During the course of Meeting, DIF has informed that this issue is in advanced stage of consideration of State Govt.</p>	
3.	Timely submission of consistant and accurate data viz LBS MIS I, II & III and other periodical statements	<p>As per Lead Bank Scheme, the RBI has issued guidelines for submission of various periodical returns on prescribed format LBS MIS I, II & III. However, it is observed that the periodical data is not submitted by the Banks to SLBC as per prescribed time schedule which ultimately leads to the inordinate delay in consolidation and submission of the desired information to RBI & other agencies.</p> <p>In view of the statutory requirement & the importance of this data base, the Banks are required to submit the periodical information on prescribed proforma as per prescribed time schedule to the SLBC.</p> <p>Incidentally, this issue is being regularly taken up by SLBC with all Banks for their necessary action and stabilization of the data submission.</p>	<p>Owing to the importance of this issue, the Banks are once again requested to ensure timely submission of data with consistency and accuracy so that SLBC may ensure the consolidation and further submission of the same at appropriate level within the prescribed time schedule.</p> <p>(Action: All Banks)</p>



List of the participants for SLBC (UP) Meeting dated 26.02.2016

Sr. No.	Organization	Designated Member	Status of Participation	Designation	Participating Authority & Contact Details	Name	Contact No.	Email ID
1	Bank of Baroda, Corporate Office, Mumbai	Chairman & Managing Director / Executive Director	Yes	Executive Director	Shri Mayank K Mehta			
2	Bank of Baroda, U.P Zone Lucknow	General Manager	Yes	General Manager	Shri Prabhat Agarwal		0522-6677607	zm upu@bankofbaroda.com
3	Reserve Bank of India, Lucknow	Regional Director	Yes	Regional Director	Shri Ajai Kumar			rkanandev@rbis.org.in
4		Asst. General Manager			Shri R.K Pandey			9473649864
5	Reserve Bank of India, Lucknow	PRO Manager			Shri Sunil Tewari			9415049532
6	NABARD, R.O., Lucknow	Chief Gen. Manager	No	General Manager	Shri Alok Ranjan		7081000188	alokranjan@nabard.org
7		Asst. General Manager			Shri A.K Singh			9819418150
8	State Bank of India, Lucknow	Chief Gen. Manager/Cen. Manager	Yes	Chief General Manager	Shri Gautam Sengupta			sangeeta.mehra09@gmail.com
9		Dy. General Manager			Shri Sanju Mishra			com.iholicu@sbico.in
10		Asst. General Manager			Shri S.L.Srivastava			dqmbut.iholicu@sbi.co.in
11	Allahabad Bank, Lucknow	Field Gen. Manager/ State Head	Yes	Field General Manager	Shri Ajay Kumar Srivastava			admlib.iholicu@sbi.co.in
12		Senior Manager			Shri Raj Kumar Sharma			famo.luc@allahabadbank.in
13	Union Bank of India, Lucknow	Gen. Manager/ State Head	Yes	Field General Manager	Shri L.D.Rewarkar			9721777711
14		Senior Manager			Shri Motilal			9918702102
15	Syndicate Bank	Field General Manager	Yes	Field General Manager	Shri V.Ashokan			ashokan@yahoo.com
16		Manager			Shri Harsh Vardhan Trivedi			famo.lucknow@syndicatebank.co.in
17		Asst. Manager			Shri Ashok Kumar Gaur			9415504978
18	Bank of India, Lucknow	Dy. Gen. Manager/ State Head	No	Asst. General Manager	Shri K.L.Garg			8005496994
19		Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Field General Manager	Shri P.K.Gupta			9660338750
20	Central Bank of India	Chief Manager			Shri Anil Kumar			9918044442
21		De. General Manager			Shri A.K.Mishra			991802151
22	Punjab National Bank, Lucknow	Field Gen. Manager/ State Head	No	Chief Manager	Shri Ashwani Kumar Singh			8173003003
23		Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	De. General Manager	Shri Pramod Kumar			9436406606
24	Canara Bank	Dy. Gen. Manager/ State Head	No	Divisional Manager	Shri Sunil Kumar Yadav			8173067838
25		Chief Manager			Shri Ajeet Sasein			8009999111
26	Indian Bank, Lucknow	Dy. Gen. Manager/ State Head	No	Sr. Manager	Shri Jalendra Singh			9598059588
27		Zonal Manager			Shri M.S.Shah			9913703033
28	Dena Bank, Lucknow	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Sr. Manager	Shri Shiv Sagar Chaurasia			9721459202
29		Asst. Manager			Shri Ganga Sagar Kharwar			9918727606
30	Punjab & Sind Bank	Dy. Gen. Manager/ State Head	No	Asst. General Manager	Shri A.Venkateshwaran			7525021567
31	Corporation Bank	Dy. Gen. Manager/ State Head	No	Asst. Gen. Manager	Shri Anil Kumar Singh			9559617723
32	Andhra Bank, Lucknow	Dy. Gen. Manager/ State Head	No	Chief Regional Manager	Shri H.B.Shukla			9839010168
33	Indian Overseas Bank, Lucknow	Chief Regional Manager/State Head	Yes	Manager	Shri S.Bhattcharya			8800730044
34	Oriental Bank of Commerce	Zonal Head	No	Chief Regional Manager	Shri Rajesh Khattri			9450638720
35		Chief Regional Manager	Yes	Asst. Gen. Manager	Shri Amitabh Rai			9618369087
36	United Bank of India, Lucknow	Zonal Head	no	Chief Manager	Shri R.K.Sabharwal			9936871667
37	UCO Bank	Gen. Manager	No	Chief Manager	Shri S.S.Yadav			8004087766
38	Vijaya Bank, Lucknow	State Head	No	Sr. Manager	Shri Kaushal Kumar Singh			7572024243
39		Dy. Gen. Manager	No	Chief Manager	Shri R.K.Porwal			9041539430
40	Bank of Maharashtra	Dy. Gen. Manager	No	Chief Manager	Shri Vijay Kumar Swami			9800995396
41	State Bank of B. & J. New Delhi	Dy. Gen. Manager	No	Chief Manager	Shri Bindu Kumar			9986390539
42	State Bank of Hyderabad, Lucknow	Dy. General Manager	Yes	De. General Manager	Shri P.K.Roy			9695618699
43	State Bank of Patiala	Dy. General Manager	No	Manager	Shri Sanjay Shukla			9889893331
44	State Bank of Mysore	Dy. General Manager			Shri Chandramohan K.B			8009490371
45	State Bank of Travancore, Lucknow	State Head	No	General Manager	Shri Mahendra Kumar			9559829999
46	Baroda U.P Gramin Bank	Chairman			Shri M.N.Patel			740822111
47	Allahabad U.P Gramin Bank	Chairman			Shri B.B.Nanda			8172910150
48	Gramin Bank of Aryavart	Chairman			General Manager			7388996662
49		Senior Manager			Shri K.K.Singh			9415600700
50	Kashi Gomti Samyut Gramin Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri Bhola Prasad			kgsq@kgsqbank.co.in
51	Prathma Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri M.S.Arora			9837036728



* अधिकारी समिति * अधिकारी समिति *
कार्यालय कार्यालय कार्यालय कार्यालय

Sr. No.	Organization	Designated Member	Status of Participation	Designation	Participating Authority & Contact Details	Name	Contact No.	Email ID
52	Purnanchal Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri A K Sinha	9415210544	chairmansobb@gmail.com	
53	Serve U.P. Gramin Bank	Chairman	No	Chairman	Shri Anil Kumar Sharma	8130167878	anils2pnbc@gmail.com	
54	U.P. Cooperative Bank Ltd.	Managing Director	No	Dy. General Manager	Shri Dilip Kumar Prasad	7515006035	upcbudd@gmail.com	
55	Axis Bank	Circle Head	No	AVP	Shri Ashish Sinha	8874204071	newettroad@axisbank.com	
56	Bhartiya Mahila Bank	State Head	No	Senior Manager	Shri Arup Sarkar	9658013786	br.lucknow@bmrb.co.in	
57	HFDC. Bank, Lucknow	Zonal Head	No	Nodal Officer	Shri Anurag Gupta	9336820290	anuraag.gupta@hfcbank.com	
58	Nainital Bank Ltd., Nainital	Chairman & CEO	No	Asstt. Vice President	Shri Amar Singh	7055101599	mahanagar@nainitalbank.co.in	
59	IDBI Bank Ltd.	Regional Head	No	Asstt. General Manager	Shri Dhriti Dixit	7860404321	d.dixit@idbi.co.in	
60	ICICI Bank, Lucknow	Regional Head	Yes	Regional Coordinator	Shri Vaibhav Mishra	9415563950	vaihbav.mishra@idbi.co.in	
61	The Karnataka Bank, New Delhi	Dy. Gen. Manager	No	Branch Manager	Shri Vaibhav Nagpal	7571009426	shobhit.nagpal@icicibank.com	
62	Federal Bank	State Head	Yes	AGM & Regional Head	Ms. Astha Singh	7388199562	ashma.singh@icicibank.com	
63	Kotak Mahindra Bank	State Head	No	Asstt. Manager	Shri S K Saurabh	985922575	lucknow@kotakbank.com	
64	South Indian Bank, New Delhi	Dy. Gen. Manager/ State Head	No	SLBC. Coordinator	Shri Manel Mathew	9695201337	mnni@federalbank.co.in	
65	Govt. of U.P.	Agriculture Production Commissioner	Yes	Agriculture Production Commissioner	Shri Roshan Singh	9519305096	lkvv@federalbank.co.in	
66	Deptt. of Handlooms & Textiles and MSME, GovtP	Principal Secretary, GovtP	no	Joint Director	Shri Anand Mohan	9415211231	dhtrup@rediffmail.com	
67	Urban Development & SUDA, MSME	Secretary, GovtP	No	Project Director	Shri I P Kanjolia	85573002205	ipsksuda@gmail.com	
68	Board of Revenue	Secretary, GovtP	No	Special Secretary	Shri Satish Kumar	9412706689	satishtsinghal58@gmail.com	
69	Industries	Commissioner & Secretary, GovtP	No	Asstt. Director	Shri V K Bhatt	7505075691		
70	Rural Development	Commissioner & Director, GovtP	No	Dy. Commissioner	Shri S K Singh	9648774590		
71	UPSRIM	Principal Secretary, GovtP	No	Jt. Director	Shri Vinay Kumar		diup123@rediffmail.com	
72	Mission Director	Mission Director	Yes	Shri Umakant Pathak	Dy. Secretary	9453415117		
73	Directorate of Justif. Finance (DJF)	Director General	Yes	Shri Yashwant Rao, IAS	Shri Om Prakash Chaturvedi	817680399	upsrim.pmmf@gmail.com	
74	Directorate of Agriculture	State Director	Yes	State Project Manager	Shri Shiv Singh Yadav	945106200	director.dif@gmail.com	
75	80	State Director	Yes	Director General	Shri Atul Chauhan	9412206788		
76	81	State Director	Yes	Dy. Director	Dr. Saman Srivastava	9415109216		
77	82	State Director	Yes	ARO	Shri D K Trivedi	9452903469		
78	83	State Director	Yes	ARO	Dr. Raghendra	9415654000		
79	84	State Director	No	Dy. General Manager	Shri Vinod Kumar Tiwari	73(0)101505	aqnsistatup@gmail.com	
80	85	State Director	Yes	Director (Statistics)	Shri Rajesh Kumar Gupta	9235629324	dsdstatdas@gmail.com	
81	86	State Director	No	Director (Statistics)	Shri R S Pandey	9454364925	kvc.lko2011@gmail.com	
82	87	State Director	Yes	Asstt. Director	Shri V K Gupta	9415059359		
83	88	State Director	Yes	Dev. Officer	Shri Ashutosh Kr. Singh	9415463417		
84	89	State Director	No	Sr. Horticulture Officer	Shri Bhikoo@rediffmail.com	0522202470		
85	90	State Director	No	Asstt. Director	Shri Tarun Khanna	945504893	khanna.tarun15@gmail.com	
86	91	State Director	No	Managing Director	Shri Daya Ram Verma	955762677	dr.verma.diko@gmail.com	
87	92	State Director	No	Chief Executive Officer	Shri H R Singh	7408419716	upkvpbmege@gmail.com	
88	93	State Director	No	Managing Director	Shri Anil Singh Chaudel	9450065722	credit.upsitup@gmail.com	
89	94	State Director	No	Director General	Shri Rakesh Shankar	945401147	tarakesh.shankar2009@gmail.com	
90	95	State Director	Yes	Director	Shri K Sharmaji	971761285	vishaq@nhb.org.in	
91	96	State Director	No	Director	Shri Vishal Geel	9559818288	sarabhus@gmail.com	
92	97	State Director	No	Manager	Shri Saurabh Singh	9415033302	rdbu@rediffmail.com	
93	98	State Director	No	Manager	Shri Rajeev Dixit	9450390877		
94	99	State Director	No	State Project Co-ordinator	Shri M. Minajuddin	9415121671		
95	100	State Director	No	Sr. Manager	Shri Tarun Khanna	91980063264	dinesh.khare@orientalinsurance.co.in	
96	101	State Director	No	Asstt. Manager	Shri Dinesh Khare	776490108	ashok.singh@nic.co.in	
97	102	State Director	No	Manager	Shri Ashok Kumar Singh	9450101902	ro.lucknow@alcofindia.com	
98	103	State Director	Yes	Asstt. Manager	Shri Prajant Kumar	7705008527	pcdfmbd@yahoo.co.in	
99	104	State Director	No	Executive Director	Shri V K Tripathi			
100	105	State Director	No	Executive Director	I/C MBD PCDF Ltd			
101	106	State Director	No	Executive Director				
102	107	State Director	No	Executive Director				



Sr. No.	Organization	Designated Member	Status of Participation Special Invitee	Participating Authority & Contact Details			Email ID
				Designation	Name	Contact No.	
108							
109	Transport Commissioner Office	Commissioner	Yes	Commissioner	Shri K R Nayak, IAS	9935579533	
110		Sr. AR to HQ		Sr. AR to HQ	Shri S Nijha	9935579533	
111	Directorate of Census Operations	Dy. Director	No	Joint Director	Shri Pradeep Kumar	9454832275	pk29126@yahoo.com
112				Asstt. Director	Shri A K Rai	9044320011	akrai.census@gmail.com
113	UIDAI	Asstt. Director General	Yes	Asstt. Director General	Shri Pradeep Kumar	9455930099	pradeepkumar@uidai.net.in
114	Animal Husbandry	Secretary, GovtJP	No	Dy. Director	Dr G C Pandey	9415380155	girish.pandey260@gmail.com
115				Joint Director	Dr V K Sachan	9415281894	vinodschand41@gmail.com
116	State Planning Commission		No	Research Officer	Shri Rakesh Saxena	9454468910	rakeshsaxena24@yahoo.com
117	BSNL			Addl. General Manager	Shri Ram Kumar Agarwal	9455000016	drmnncupe@gmail.com
118				Addl. GM (C&TX)	Shri S S Sachan	941509515	ssachan@bsnl.co.in
119				ADT(INC)	Shri S B Gupta	8005495959	shgupta1959@yahoo.in
120	EPFO			Regional PF Commissioner II	Shri Mohit Shekhar	9005924130	mohit.shekhar@cpofindia.gov.in
121				Dy. Gen. Manager	Shri A K Singh	0522-6677704	
122				Dy. Gen. Manager(LR)	Shri Pradeep Srivastava		
123				Asstt Gen Manager(SLBC)	Shri S K Verma	0522-6677722	slbc.up@bankofbaroda.com
124				Chief Manager	Shri K. K. Mathur	0522-6677721	slbc.up@bankofbaroda.com
125				Manager	Shri R.K. Agrawal	9415182483	
126				Manager	Shri G M Dayal	0522-6677730	es.upu@bankofbaroda.com
127				Manager	Shri M N Srivastava	0522-6677725	slbc.up@bankofbaroda.com
128	Bank of Baroda			Manager	Shri Rai Kumar Jaiswal	0522-6677694	fi.upu@bankofbaroda.com
129				Officer	Shri Avish	0522-6677725	cifp.upu@bankofbaroda.com
130				SWO-A	Shri Anil Agarwal	0522-6677725	
131				SWO-A	Ms Anjali Singh	0522-6677726	
132				SWO-A	Ms Shikha Tripathi	0522-6677726	

